भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3568
सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहायण, 1943 (शक)

बेरोजगारी दर

3568. डॉ. शशि थरूरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महामारी के दौरान पूरे देश में बेरोजगारी की दर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौकरियों के सृजन के संबंध में तात्कालिक और साथ ही दीर्घकालिक समाधान किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय का मनरेगा योजना हेतु आवंटन में कमी के बावजूद अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने इस बढ़ी हुई मांग से निपटने के लिए उपाय किए हैं या करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल- भारतीय तिमाही संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। अप्रैल से जून 2021 की अवधि हेतु तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार 3.08 करोड़ हुआ है जबकि यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में यथा रिपोर्टित सामूहिक रूप से लिए गए इन क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ था जो कि 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। 152 प्रतिशत की सर्वाधिक प्रभावी वृद्धि आईटी/बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में यह 22 प्रतिशत, परिवहन में यह 68 प्रतिशत तथा निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही है।

वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय कर रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं ,को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। एमजीएनआरईजीएस के तहत 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत, नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु वेतन का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार की सुरक्षा करने में सहायता मिली है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) आरंभ किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन प्राप्त किया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 1.17 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.59 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके। इस योजना के तहत, 26.46 लाख लाभार्थियों को 2641.46 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत नवंबर 2021 तक 31.28 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए थे।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति भी उन्मुख हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 20.12.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) दृष्टिकोण के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	4.5	5.3	4.7
2	अरुणाचल प्रदेश	5.8	7.7	6.7
3	असम	7.9	6.7	7.9
4	बिहार	7.0	9.8	5.1
5	छत्तीसगढ	3.3	2.4	3.3
6	दिल्ली	9.4	10.4	8.6
7	गोवा	13.9	8.7	8.1
8	गुजरात	4.8	3.2	2.0
9	हरियाणा	8.4	9.3	6.4
10	हिमाचल प्रदेश	5.5	5.1	3.7
11	झारखंड	7.5	5.2	4.2
12	कर्नाटक	4.8	3.6	4.2
13	केरल	11.4	9.0	10.0
14	मध्य प्रदेश	4.3	3.5	3.0
15	महाराष्ट्र	4.8	5.0	3.2
16	मणिपुर	11.5	9.4	9.5
17	मेघालय	1.6	2.7	2.7
18	मिजोरम	10.1	7.0	5.7
19	नागालैंड	21.4	17.4	25.7
20	ओडिशा	7.1	7.0	6.2
21	पंजाब	7.7	7.4	7.3
22	राजस्थान	5.0	5.7	4.5
23	सिक्किम	3.5	3.1	2.2
24	तमिलनाडु	7.5	6.6	5.3
25	तेलंगाना	7.6	8.3	7.0
26	त्रिपुरा	6.8	10.0	3.2
27	उत्तराखंड	7.6	8.9	7.1
28	उत्तर प्रदेश	6.2	5.7	4.4
29	पश्चिम बंगाल	4.6	3.8	4.6
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15.8	13.5	12.6
31	चंडीगढ़	9.0	7.3	6.3
32	दादरा और नगर हवेली	0.4	1.5	3.0
33	दमन और दीव	3.1	0.0	2.9
34	जम्मू और कश्मीर	5.4	5.1	6.7
35	लद्दाख	-	-	0.1
36	लक्षद्वीप	21.3	31.6	13.7
37	पुडुचेरी	10.3	8.3	7.6
	अखिल भारत	**6.0**	**5.8**	**4.8**

स्रोत: पीएलएफएस 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट, एमओएसएंडपीआई